

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

पत्र सं० नोएडा/मु०वा०नि०/2017/ IV - 1464/ 956

दिनांक:

2/2/17

सेवा में,

**M/s Pinnacle Superstructure Pvt. Ltd.,
Sikka House, C - 60, Praet Vihar,
Vikas Marg, Delhi - 92**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2016 के संदर्भ में प्रस्तावित स्पॉट सिटी भूखण्ड संख्या एस०सी० - ०१/ ए - 1/(बीटा), सेक्टर - 79, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस परीक्षण हेतु स्वीकृत किया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्याज मांगा जायेगा तो वह किसी विना आपत्ति के देया होगा।
5. दरवाजे व खिलकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब यह खुले तो उसके पल्ले किसी सड़कशी भूमि या सड़क की ओर बजाव(प्रोजेक्टेड) न हो।
6. दिवली की लाईन से पीछे फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आर्टी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के समाने रखने से सड़क पर बाधाकार अवरोध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखा होगा ताकि उसकी नौके पर कमी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोट्स भवन नियमनली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आर्टी तरहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तरहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूखण्ड का निर्माण कार्य शुरू करेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आर्टी गेजेटाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रैम्य अथवा रौलस नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आर्टी द्वारा जल एवं मल को निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आर्टी तल बनेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा शर्तें मटेरेयार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको मुजौजित करा लिया हो। मटेरे के अधिकार उल्लब्ध/मुजौजित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, मटेरे को वैधता विधि तक समझा जायेगा।
13. आर्टी को अधिभाग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार सम्पत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आर्टी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तरहखाने की त्त जालने से पूर्व कुर्ती तल पर एवं भूखण्ड की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करेगा।
15. पूर्व स्वीकृत ले आउट प्लान की स्वीकृति पत्रावली संख्या IV - 1374 में पुनरीक्षित स्वीकृति - 734 दिनांक 16.06.2014 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि तथागत पुनःस्था से सर्वोच्च धारक पर भी लागू होंगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा।

16. ग्रेडर, लीजरीज, सबलीज डीज, मलजोना, डिस्टिन् रेगुलेशन आदि के तथा संबंधित अव्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्राधान्य इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।
17. यह स्वीकृति तथा सम्पूर्ण शोर्ट सिटी की धांजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्रता से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तिव नहीं रहेगा।
18. शोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ग्रेडरलीज डीज में रोललाफ - 2 पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परियोजना के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य करने का दायित्व/उत्तर दायित्व मूल लीज डीज धारक एवं उस लीज डीज धारक का संयुक्त रूप से रहेगा।
19. मनोरंजन (खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनुपयोगित एफएओआरड 1.87.108.24 वर्ग मी० के आवासीय उपयोग से अनापत्ति कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन धारक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के तत्पश्चात् अधिमोक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमत्य होगा, जिसके सबलीज डीज धारक के हिस्से में आने वाले भाग को नानरिज में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में जेए-2 के रूप में दर्शाया गया है। इसके पूर्व इस भाग की स्वीकृति मांग प्रत्यावर्तक रूप में ही मान्य होगी।
20. ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमत्य अतिरिक्त 5% एफएओआरड मान विनियमावली, 2010 के प्राधान्यों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमत्य होगा।
21. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के स्वर्ध में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्राकृत पर धोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. सम्बंधित योजना में गूजल की अनधिकृत िकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रस्तावित क्षेत्र की हाइड्रोलोजी के दृष्टिगत रनवटर हार्वेस्टिंग/पू-जल योजना की व्यवस्था केन्द्रीय गू-जल विभाग अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गू-जल विभाग के प्राधिकारों के अन्तर्गत करना होगा।
23. यह स्वीकृति शोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका को नियम एवं शर्तों/लीज डीज की शर्तों/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत तथा प्रभावी प्राधिकारों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त नहीं जायेगी।
24. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोडिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली 2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमत्य क्रियाएँ एवं उपयोग तथा उसके अपॉटिंग गूल में अनुमत्य क्रियाएँ एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, फिरवेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर कियाशील फिर जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
26. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीज की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित सम्भावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
27. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधाएँ तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर हासकीय नीति/निर्देशों, सी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुरंगत कोड एवं मानकों के अनुकूल किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
28. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संवहन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उखान, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
29. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊंचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अधारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।

30. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्य, सामुदायिक एवं जन-सुविधायक, अवस्थापना सुविधायक, सभी स्लूजचर्म, सभी प्रकार के पथनी आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
31. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्लूजचर्म/ सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित किये/ओ आदि का उप विभाजन, सब लॉन्ग, सब लेंथिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवेदन निम्नानुवली, सीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा प्रदायोगना 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
32. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायक एवं सुगम्यता के दृष्टिकोण अथरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
33. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायक, जन रोताये एवं सामुदायिक सुविधायक आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेवी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
34. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्ण आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
35. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के समेक ही अनुमत्त होगी।
36. सब लॉन्ग भूखण्ड सं 01/ए - 1 के मूल ले-आउट में संदर्भित भूखण्ड के उप विभाजन को नहीं दर्शाया गया है। अतः उप विभाजित भूखण्ड सं 01/ए - 1 (एलएम) एवं भूखण्ड सं 01/ए - 1 (बी.ए) को पूर्व दिनांक 16.06.2014 को पुनरीक्षित ले-आउट बना में ले - आउट में दर्शाते हुए व समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए उक्त ले-आउट को पुनरीक्षित करना होगा।
37. स्थल पर निर्माण कार्य शुरु आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.08 में निहित प्रावधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा शापेक्षित अन्य प्रावधानों / निर्देशों के अनुस्तर पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सन्तुष्टित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्त होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
38. ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमत्त अतिरिक्त 5% एफ०ए०आर० भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही अनुमत्त होगा, जिसका अनुपालन न करने की दशा में नियमनुसार कार्यवाही की जायेगी।
39. मानवाय राष्ट्रीय हरित अधिवेशन में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं 21/2012 वर्तमान कौशिक बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पश्चि आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्य हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का उल्लंघन अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आदेश का समय पत्र भी प्रस्तुत करे।
40. स्वीकृत सन्तुष्टित इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की नशता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आइ. व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

सब लीज भूखण्ड सं० एच.सी. - 01/ए - 1 (बीटा) पर प्रस्तावित निर्माण

आवासीय उपयोग

- सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल - 20,000.00 वर्ग मी०
- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार प्रस्तावित मू-आच्छादन एफ०ए०आर० - 6600.00 वर्ग मी०
- प्रस्तावित निर्माण हेतु भवन मानचित्र को अनुसारित रीटर्नक = न्यूनतम आवश्यक/स्वीकृत ले आउट के अनुसार
- मू-आच्छादन = 4860.595 वर्ग मी०
- एफ०ए०आर० = (55000.00 + 5%) = 57,750.00 वर्ग मी० (अनुमत्य)
- = 57,390.821 वर्ग मी० (प्रस्तावित)

टिप्पणी:- भवन उप विधि के प्रस्तर 24.8(14) के

प्रावधानों के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण हेतु

अनुमत्य एफ०ए०आर० पर 5% अतिरिक्त

एफ०ए०आर० अनुमत्य किये जाने का प्रावधान है।

कुल फलियों की संख्या = 364,000 अक्षर

4.5 व्यक्ति प्रति फलियों की दर से जनसंख्या = (364X4.5) = 1638 व्यक्ति

पार्किंग की आवश्यकता

कुल अनुमत्य एफ०ए०आर० = (55000.00 + 5%) = 57,750.00 वर्ग मी०

@ 1 ई०सी०एस० प्रति 80 वर्ग मी० एफ०ए०आर० - 57,750.00/80 = 721.875

- 722 ई०सी०एस०

- 72 ई०सी०एस०

शारीरिकरूप से अशक्त हेतु 10% पार्किंग स्थल

कुल पार्किंग की आवश्यकता (722 + 72)

= 794 ई०सी०एस०

प्रस्तावित पार्किंग की व्यवस्था:-

बेसमेंट की पार्किंग = 794 ई०सी०एस०

स्टिच में पार्किंग = 44 ई०सी०एस०

खुले क्षेत्र में विला हेतु पार्किंग = 16 ई०सी०एस०

कुल पार्किंग क्षेत्रफल = 794 + 44 + 16 = 854 ई०सी०एस०

हरित क्षेत्र का विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल - 20,000.00 वर्ग मी०
- प्रस्तावित मू-आच्छादन = 4,860.595 वर्ग मी०
- कुल खुला क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल (20,000.00 - 4,860.595) = 15,139.45 वर्ग मी०
- खुले क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) - 7,569.725 वर्ग मी०
- प्रस्तावित ग्रीन क्षेत्रफल = 8063.723 वर्ग मी०
- कुल पौधों की आवश्यकता 15,139.45/100 = 151.39 = 151 पौधे

आबंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल 296 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधि एवं घने छायादार दर्शाये गये हैं।

कुशों की संख्या

= 151 अदद (आवश्यक)

= 296 अदद (प्रस्तापित)

तल-वार विवरण



तल	उपयोग	सेवा क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल योग (वर्ग मी०)
भूतल/स्टिल्ट	आवासीय	181,003	1588,931	1769,934
प्रथम तल	आवासीय	303,414	3551,795	3855,21
द्वितीय तल	आवासीय	303,414	3551,795	3855,21
तृतीय तल	आवासीय	303,414	3347,795	3651,21
चतुर्थ तल	आवासीय	245,454	2318,275	2563,73
पंचम तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
छठवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
सातवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
आठवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
नौवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
दसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
ग्यारहवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
बारवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
तेरहवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
चंद्रहवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
पन्द्रहवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
सोलहवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
सत्रहवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
अठ्ठासठवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
उन्नीसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
बीसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
इक्कीसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
बइसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
तेइसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
चौबीसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
पच्चीसवां तल	आवासीय	245,454	2049,155	2294,61
मशीन रूम व समटी	आवासीय	317,217	---	317,217
योग	आवासीय	6808,45	57,390,846	64,199,296
नॉन एफ.ए.आर/ स्टिल्ट तहखाना			1401,654 26099,128	
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर०, स्टिल्ट, वेसमेंट		= 6808.45 + 57,390.846 + 1401.654 + 26,099.128 = 91,700.078 वर्ग मीटर		

(Handwritten signatures)

स्पोर्ट सिटी/मनोरंजन का अवशेष एफ.ए.आर. (10,336.09 वर्ग मी० जोकि कुल एफएओआर का 18.01% है) का उपयोग आवासीय/ग्रुप हाउसिंग के उपयोग में मनोरंजन/स्पोर्ट सिटी के पूर्ण होने के बाद किया जा सकेगा।

- प्रस्तावित नू-आच्छादित क्षेत्रफल = 4860.595 वर्ग मी०
- प्रस्तावित एफओआर = 57,390.846 वर्ग मी०

Map for proposed Building by Super Bye Laws. Submitted for approval please.


 Asst. Archt
 
 Architect


 नाम.....
 पद..... श्रीवास्तव
 नोएडा मुख्य वास्तुविद् निरांकक
 नोएडा

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी (वाणिज्यिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायंवाती हेतु प्रेषित ।
2. सैकेट्री, स्टेट लेवल एन्वायर्समेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०, डायरेक्टरेट ऑफ एन्वायर्समेंट, डॉ० भीमराज अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1, गोमती नगर, लखनऊ - 226090, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ ।